भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2323
उत्तर देने की तारीख 03 अगस्त, 2026
12 श्रावण, 1948 (शक)

महाराष्ट्र में खेलो इंडिया योजना

2323. श्रीमती सुप्रिया सुले:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में स्वीकृत खेलो इंडिया परियोजनाओं, खेल अवसंरचना खेलो इंडिया केंद्रों, प्रशिक्षण केंद्रों और एथलीट विकास पहलों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम के तहत राज्य में प्रत्यायित मान्यताप्राप्त अकादमियों, एथलीटों और प्रशिक्षकों की संख्या कितनी है, साथ ही स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में खेलो इंडिया योजना को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का आकलन किया है, जिनमें योग्य प्रशिक्षकों की कमी, अपर्याप्त खेल अवसंरचना, निधि जारी करने में देरी, खेल विज्ञान, पोषण और खेल चिकित्सा सुविधाओं तक सीमित पहुंच, तथा ग्रामीण, जनजातीय और आकांक्षी जिलों से कम भागीदारी शामिल है और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा राज्य में युवा एथलीटों के लिए प्रतिभा की पहचान, गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और प्रतिस्पर्धी अवसरों को मजबूत करने के लिए किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) क्या महाराष्ट्र के पास अल्पसेवित जिलों के लिए अतिरिक्त खेलो इंडिया केंद्रों, अवसंरचना के उन्नयन और न्यायसंगत वित्तपोषण का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ) : 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण सुविधाओं, अकादमियों, एथलीटों और कोचों के विकास, खेल प्रतिभा की पहचान और उसका पोषण, प्रतिस्पर्धी अवसर उपलब्ध कराना, खेल विज्ञान, पौष्टिक आहार और खेल चिकित्सा की आवश्यकताओं को पूरा करने सहित खेलों के विकास का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों का होता है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। खेलो इंडिया स्कीम महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य खेल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, खेल प्रतिभा की पहचान और उनका पोषण तथा एथलीटों को संरचित प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धी अवसर प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी), खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों (केआईएससीई), खेलो इंडिया प्रत्यायित अकादमियों (केआईएए), खेलो इंडिया एथलीटों (केआईए) तथा स्कीम के अन्य घटकों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है । महाराष्ट्र राज्य सहित देशभर में अनुमोदित खेल अवसंरचना परियोजनाओं और उनकी संस्वीकृत लागत, जारी की गई निधि तथा उनकी वास्तविक और वित्तीय प्रगति के साथ-साथ केआईसी, केआईएससीई, केआईएए एवं केआईए का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://dashboard.kheloindia.gov.in पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

स्थापित समीक्षा और निगरानी तंत्र तथा राज्य सरकारों, कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित बातचीत के माध्यम से खेलो इंडिया स्कीम के कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी की जाती है। सरकार ने प्रतिभा पहचान और विकास को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें मौजूदा स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं तथा प्रतिभा पहचान और विकास पहलों के माध्यम से खेल प्रतिभा की पहचान, खेलो इंडिया केंद्रों, खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों तथा खेलो इंडिया प्रत्यायित अकादमियों के माध्यम से संरचित प्रशिक्षण के प्रावधान एवं कोचिंग, खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा के लिए सहायता, पौष्टिक आहार और प्रतियोगिता एक्सपोजर शामिल हैं।

सरकार जमीनी स्तर के खेलों के विकास, खेल प्रतिभाओं की पहचान और उनका पोषण तथा एथलीटों को संरचित प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने पर विशेष ध्यान देते हुए अपने मौजूदा घटकों के माध्यम से खेलो इंडिया पहलों को सुदृढ़ करती है। खेलो इंडिया स्कीम एक मांग आधारित स्कीम है। राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों और अन्य पात्र निकायों से वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता, अवसंरचना की कमी, खेल क्षमता, कार्यान्वयन के लिए तत्परता और स्कीम के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है।

****